



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997 क्रमांक 3 के अन्तर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya
(A Central University established by Parliament by Act No.3 of 1997)
NAAC Accreditation- "A" Grade

प्रो. कृष्ण कुमार सिंह
Prof. Krishna Kumar Singh
कार्यकारी कुलसचिव/Acting Registrar


दूरभाष / Phone: +91-7152-251661
फ़ैक्स / Fax: +91-7152-2309

क्र. : 019/2015-16/CTS/PGDCA/154 Part-1/866
दिनांक : 20.07.2018
24

कार्यालय आदेश

सत्र: 2018-19 के अंतर्गत पीजीडीसीए पाठ्यक्रम के लिए विज्ञापित 20 सीटों को आवश्यकतानुसार बढ़ाकर 40 किया जाता है।

यह आदेश सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।


(कृष्ण कुमार सिंह) 24/07/18

प्रतिलिपि:

1. कुलपति कार्यालय।
2. कुलसचिव कार्यालय।
3. निदेशक, सूचना एवं भाषा अभियांत्रिकी केंद्र को सक्षम निकाय में कार्योत्तर स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करने संबंधी आवश्यक कार्रवाई के लिए।
4. सहायक कुलसचिव (अकादमिक)।
5. परीक्षा विभाग।
6. वित्त विभाग को आवश्यक कार्रवाई के लिए।
7. लीला प्रभारी को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।
8. संबंधित फाइल